# ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996

(Act No. 26 of 1996)

## माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996

(1996 का अधिनियम संख्यांक 26)

[President Assent Date: 16th August, 1996.]

DIGLOT EDITION

# Tansukh Paliwal

Ex. Govt Officer (Raj.) Founder, Linking Laws



Jodhpur, Rajasthan

Click Here To Buy Linking Publication

#### Preface


Hello & नमस्कार.

LINKING BARE ACTS are not merely Bare Act of the Text approved by Legislature rather it envisage my personal Experience as Judiciary Exam Educator of more than a decade wherein I found the style of Inter Section Linking, Inter Chapter Linking and Inter Acts Linking so effective that the reader can gain comprehensive command over any particular topic or concept with help of it. Further, such things also help in easy mediation while making revision.

"जो याद (memorize) नही होता उसे, उससे याद करो जो याद हो चूका है" - this technique is output of Linking style.

Presently, Law Exam specially concentrate to check command of student over Legislative Text (i.e. Bare Act), accordingly they asked questions which directly or indirectly Linked with Bare Act only. While teaching various laws, I found that Linking techniques is easy for student to learn multiple sections together, so I have included such technique in LINKING BARE ACTS.

These Linking Bare Acts of **ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996** includes regular features of any Linking Bare Acts, so I have provided various comparative table also which will help to understand the changes easily in new laws. it's my firm belief, these LINKING BARE ACT will certainly change the way of reading Bare Act. Further, spacious margin, Bracket Method of Proviso and Explanation etc will make the study more convenient.



© All rights including copyright reserved with the publisher.

#### Disclaimer

No part of the present book may be reproduced re-casted by any person in any manner whatsoever or translated in any other language without written permission of publishers or Author(s). All efforts have been made to avoid any error or mistakes as to contents but this book may be subject to any un-intentional error/omission etc.

	ARBITRATION AND CONCILIATION ACT,	1996	
S.No.	TOPIC		Page
1.	Legal Disclaimer		5
2.	Sections wise Page Number		6-9
3.	A&C Act, 1996 (Range Part {Chapter} Wise)	Sections	10-91
-	PREAMBLE / उद्देशिका	-	10-11
ı	PRELIMINARY / प्रारंभिक	1	10-11
I	ARBITRATION / माध्यस्थम्	2-43	12-57
	Cha I General provisions / साधारण उपबंध	2-6	12-17
	Cha II Arbitration agreement / माध्यस्थम् करार	7-9	17-19
	Cha III Composition of arbitral tribunal माध्यस्थम् अधिकरण की संरचना	10-15	20-27
	Cha IV Jurisdiction of arbitral tribunals माध्यस्थम् अधिकरणों की अधिकारिता	16-17	28-29
	Cha V Conduct of arbitral proceedings माध्यस्थम् कार्यवाहियों का संचालन	18-27	30-35
	Cha VI Making of arbitral award and termination of proceedings / माध्यस्थम् पंचाट का दिया जाना और कार्यवाहियों का समापन	28-33	36-47
	ChaVII Recourse against arbitral award माध्यस्थम् पंचाट के विरुद्ध उपाय	34	46-49
	ChaVIII Finality & enforcement of arbitral awards माध्यस्थम् पंचाटों को अंतिमता और उनका प्रवर्तन	35-36	50-51
	ChaIX Appeals / अपीलें	37	52-53
	ChaX Miscellaneous / प्रकीर्ण	38-43	52-57
IA	ARBITRATION COUNCIL OF INDIA भारतीय माध्यस्थम् परिषद्	43A-43M	58-65
II	ENFORCEMENT OF CERTAIN FOREIGN AWARDS कतिपय विदेशी पंचाटों का प्रवर्तन	44-60	66-77
	Cha I New York Convention Awards न्यूयार्क अभिसमय पंचाट	44-52	66-71
	Cha II Geneva Convention Awards जेनेवा अभिसमय पंचाट	53-60	72-77
III	CONCILIATION / सुलह	61-81	78-87
IV	SUPPLEMENTARY PROVISIONS / अनुपूरक उपबंध	82-87	88-91
_	Schedule / अनुसूची	I-VIII	92-117
-	Appendix / परिशिष्ट	-	116-117

## **Legal Disclaimer**

All efforts have been made to avoid any kind of typing or other kind of error or omission, though It is humbly requested to all readers that in case of doubt kindly prefer official text of the legislation as passed by Parliament. By **Scanning following QR code** You may have official text of parliament regarding *ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996:* -

किसी भी प्रकार की टाइपिंग या अन्य प्रकार की त्रुटि या चूक से बचने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, हालांकि सभी पाठकों से विनम्र अनुरोध है कि संदेह की स्थिति में कृपया संसद द्वारा पारित विधि के आधिकारिक शब्दों को प्राथमिकता दें। निम्न प्रस्तुत क्यूआर कोड को स्कैन करके आप माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के संबंध में संसद का आधिकारिक पाठ प्राप्त कर सकते हैं: -

Source: <a href="https://www.indiacode.nic.in">https://www.indiacode.nic.in</a>



## **ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996**

#### **ARRANGEMENT OF SECTIONS**

Sec. No.	Title	Page No.
	PREAMBLE / उद्देशिका	
	PRELIMINARY / प्रारंभिक	
1.	Short title, extent and commencement / संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	10
	PART I	
	ARBITRATION / माध्यस्थम्	
	CHAPTER I	
	General provisions / साधारण उपबंध	
2.	Definitions / परिभाषाएं	12-14
3.	Receipt of written communications / लिखित संसूचनाओं की प्राप्ति	14
4.	Waiver of right to object / आपत्ति करने के अधिकार का अधित्यजन	16
5.	Extent of judicial intervention / न्यायिक मध्यक्षेप का विस्तार	16
6.	Administrative assistance / प्रशासनिक सहायता	16
	CHAPTER II	
	Arbitration agreement / माध्यस्थम् करार् 🔷	
7.	Arbitration agreement / माध्यस्थम् करार	16
8.	Power to refer parties to arbitration where there is an arbitration agreement	16-18
	जहां माध्यस्थम् करार हो वहां माध्यस्थम् के लिए पक्षकारों को निर्दिष्ट करने की शक्ति	
9.	Interim measures, etc., by Court / न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय, आदि	18
	CHAPTER III	
	Composition of arbitral tribunal / माध्यस्थम् अधिकरण की संरचना	
10.	Number of arbitrators / मध्यस्थों की संख्या	20
11.	Appointment of arbitrators / मध्यस्थों की नियुक्ति	20-22
11A.	Power of Central Government to amend Fourth Schedule	22-24
	चौथी अनुसूची का संशोधन करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति	
12.	Grounds for challenge / आक्षेप के लिए आधार	24
13.	Challenge procedure / आक्षेप करने की प्रक्रिया	24-26
14.	Failure or impossibility to act / कार्य करने में असफलता या असंभवता	26
15.	Termination of mandate and substitution of arbitrator	26
	आदेश की समाप्ति और मध्यस्थ का प्रतिस्थापन	
	CHAPTER IV	
	Jurisdiction of arbitral tribunals / माध्यस्थम् अधिकरणों की अधिकारिता	
16.	Competence of arbitral tribunal to rule on its jurisdiction	28
	माध्यस्थम् अधिकरण की अपनी अधिकारिता के बारे में विनिर्णय करने की सक्षमता	
17.	Interim measures ordered by arbitral tribunal	28
	माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा आदिष्ट अंतरिम उपाय	
	CHAPTER V	
	Conduct of arbitral proceedings / माध्यस्थम् कार्यवाहियों का संचालन	
18.	Equal treatment of parties / पक्षकारों से समान बर्ताव	30
19.	Determination of rules of procedure / प्रक्रिया के नियमों का अवधारण	30
20.	Place of arbitration / माध्यस्थम् का स्थान	30
21.	Commencement of arbitral proceedings / माध्यस्थम् कार्यवाहियों का प्रारम्भ	30
22.	Language / भाषा 30	
23.	Statements of claim and defence / दावा और प्रतिरक्षा के कथन	30-32
24.	Hearings and written proceedings / सुनवाई और लिखित कार्यवाहियां	32

#### ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996 ACT No. 26 OF 1996

[16th August, 1996.]

An Act to consolidate and amend the law relating to domestic arbitration, international commercial arbitration and enforcement of foreign arbitral awards as also to define the law relating to conciliation and for matters connected therewith or incidental thereto.

#### **PREAMBLE**

WHEREAS the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) has adopted the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration in 1985;

AND WHEREAS the General Assembly of the United Nations has recommended that all countries give due consideration to the said Model Law, in view of the desirability of uniformity of the law of arbitral procedures and the specific needs of international commercial arbitration practice;

AND WHEREAS the UNCITRAL has adopted the UNCITRAL Conciliation Rules in 1980; AND WHEREAS the General Assembly of the United Nations has recommended the use of the said Rules in cases where a dispute arises in the context of international commercial relations and the parties seek an amicable settlement of that dispute by recourse to conciliation;

AND WHEREAS the said Model Law and Rules make significant contribution to the establishment of a unified legal framework for the fair and efficient settlement of disputes arising in international commercial relations;

AND WHEREAS it is expedient to make law respecting arbitration and conciliation, taking into account the aforesaid Model Law and Rules;

BE it enacted by Parliament in the Forty-seventh Year of the Republic of India as follows: -

#### PRELIMINARY

#### 1. Short title, extent and commencement.

- (1) This Act may be called the Arbitration and Conciliation Act, 1996.
- (2) It extends to the whole of India:
- (3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

### माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 26)

[16 अगस्त, 1996]

देशी माध्यस्थम्, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् और विदेशी माध्यस्थम् पंचाटों के प्रवर्तन से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए तथा सुलह से संबंधित विधि को भी परिभाषित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

#### उद्देशिका

संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग ने 1985 में अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् विषयक सं० रा० अं० व्या० वि० आ० आदर्श विधि को अंगीकार किया है ;

और संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने सिफारिश की है कि सभी देश, माध्यस्थम् प्रक्रियाओं संबंधी विधि की एकरूपता की वांछनीयता और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् पद्धित की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त आदर्श विधि पर सम्यक् रूप से विचार करें:

और संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग ने 1980 में सं० रा० अं० व्या० वि० आ० सुलह नियमों को अंगीकार किया है ;

और संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने उन दशाओं में जहां अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक संबंधों के संदर्भ में कोई विवाद उद्भूत होता है और पक्षकार सुलह के माध्यम से उस विवाद का सौहार्द्रपूर्ण निपटारा चाहते हैं, उक्त नियमों के उपयोग की सिफारिश की है;

और उक्त आदर्श विधि और नियमों ने अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक संबंधों से उद्भूत होने वाले विवादों के उचित और दक्ष निपटारे के लिए एकीकृत विधिक संरचना की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया है ;

और यह समीचीन है कि पूर्वोक्त आदर्श विधि और नियमों को ध्यान में रखते हुए माध्यस्थम् और सुलह के संबंध में विधि बनाई जाए ;

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

#### प्रारंभिक

#### संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 है।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

## PART I ARBITRATION CHAPTER I

#### **General provisions**

#### 2. Definitions.

- (1) In this Part, unless the context otherwise requires,
  - (a) "arbitration" means any arbitration whether or not administered by permanent arbitral institution;
  - (b) "arbitration agreement" means an agreement referred to in section7;
  - (c) "arbitral award" includes an interim award;
  - (d) "arbitral tribunal" means a sole arbitrator or a panel of arbitrators;
  - (e) "Court" means—
    - (i) in the case of an arbitration other than international commercial arbitration, the principal Civil Court of original jurisdiction in a district, and includes the High Court in exercise of its ordinary original civil jurisdiction, having jurisdiction to decide the questions forming the subject-matter of the arbitration if the same had been the subject-matter of a suit, but does not include any Civil Court of a grade inferior to such principal Civil Court, or any Court of Small Causes;
    - (ii) in the case of international commercial arbitration, the High Court in exercise of its ordinary original civil jurisdiction, having jurisdiction to decide the questions forming the subject-matter of the arbitration if the same had been the subject-matter of a suit, and in other cases, a High Court having jurisdiction to hear appeals from decrees of courts subordinate to that High Court;
  - (f) "international commercial arbitration" means an arbitration relating to disputes arising out of legal relationships, whether contractual or not, considered as commercial under the law in force in India and where at least one of the parties is—
    - (i) an individual who is a national of, or habitually resident in, any country other than India; or
    - (ii) a body corporate which is incorporated in any country other than India; or
    - (iii) an association or a body of individuals whose central management and control is exercised in any country other than India; or
    - (iv) the Government of a foreign country;
  - (g) "legal representative" means a person who in law represents the estate of a deceased person, and includes any person who intermeddles with the estate of the deceased, and, where a party acts in a representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party so acting;
  - (h) "party" means a party to an arbitration agreement.
- (2) This Part shall apply where the place of arbitration is in India:

## भाग 1 माध्यस्थम् अध्याय 1

#### साधारण उपबंध

#### 2. परिभाषाएं

- (1) इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, गया हो ;
  - (क) "**माध्यस्थम्**" से कोई माध्यस्थम् अभिप्रेत है चाहे जो स्थायी माध्यस्थम् संस्था द्वारा किया गया हो या न किया
  - (ख) "माध्यस्थम् करार" से धारा 7 में निर्दिष्ट कोई करार अभिप्रेत है;
  - (ग) "**माध्यस्थम् पंचाट**" के अंतर्गत कोई अंतरिम पंचाट भी है ;
  - (गक) **"माध्यस्थम् संस्था**" से इस अधिनियम के अधीन उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय द्वारा पदाभिहित कोई माध्यस्थम् संस्था अभिप्रेत है;
  - (घ) "**माध्यस्थम् अधिकरण**" से एक मात्र मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई पैनल अभिप्रेत है;
  - (ङ) "न्यायालय" से, -
    - (i) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न किसी माध्यस्थम् के मामले में, किसी जिले में आरंभिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा उच्च न्यायालय भी है, जिसे अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करते हुए माध्यस्थम् की विषय-वस्तु वाले प्रश्नों का, यदि वे किसी वाद की विषय-वस्तु होते, विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त है, किंतु ऐसे प्रधान सिविल न्यायालय से अवर श्रेणी का कोई सिविल न्यायालय या कोई लघुवाद न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आता है;
    - (ii) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् के मामले में, ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसे अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करते हुए माध्यस्थम् की विषय-वस्तु वो प्रश्नों का, यदि वे किसी वाद की विषय-वस्तु होते, विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त है, और अन्य मामलों में, ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसे उच्च न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्रियों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने की अधिकारिता प्राप्त है;
  - (च) "अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम्" से ऐसे विवादों से संबंधित कोई माध्यस्थम् अभिप्रेत है जो ऐसे विधिक संबंधों से, चाहे वे संविदात्मक हों या न हों जो भारत में प्रवृत्त विधि के अधीन वाणिज्यिक समझे गए हों, उद्भृत हों और जहां पक्षकारों में से कम से कम एक-
    - (i) ऐसा कोई व्यष्टि है जो भारत से भिन्न किसी देश का राष्ट्रिक है या उसका अभ्यासतः निवासी है; या
    - (ii) रेसा एक निगमित निकाय है, जो भारत से भिन्न किसी देश में निगमित है; या
    - (iii) ऐसा कोई संगम या व्यष्टि निकाय है जिसका केन्द्रीय प्रबंध और नियंत्रण भारत से भिन्न किसी देश से किया जाता है; या
    - (iv) कोई विदेश की सरकार है;
  - (छ) "विधिक प्रतिनिधि" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी मृत व्यक्ति की सम्पदा का विधि की दृष्टि में प्रतिनिधित्व करता है, और ऐसा कोई व्यक्ति, जो मृतक की सम्पदा में दखलन्दाजी करता है, और, जहां कोई पक्षकार प्रतिनिधि की हैसियत में कार्य करता है वहां वह व्यक्ति जिसे इस प्रकार कार्य करने वाले पक्षकार की मृत्यू हो जाने पर सम्पदा न्यायगत होती है, भी इसके अंतर्गत आता है;
  - (ज) "पक्षकार" से माध्यस्थम् करार का कोई पक्षकार अभिप्रेत है ।
  - (झ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा विहित अभिप्रेत है;
  - (অ) "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं।
- (2) परिधि—यह भाग वहां लागू होगा जहां माध्यस्थम् का स्थान भारत में है:

#### Schedule - VIII Arbitration and Conciliation Act, 1996

#### **EIGHTH SCHEDULE.** Omitted

#### **APPENDIX**

EXTRACTS FROM THE ARBITRATION AND CONCILIATION (AMENDMENT) ACT, 2015 (3 OF 2016)

#### 1. Short title and commencement.

- (1) This Act may be called the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015.
- (2) It shall be deemed to have come into force on the 23rd October, 2015.

#### 26. Act not to apply to pending arbitral proceedings.

Nothing contained in this Act shall apply to the arbitral proceedings commenced, in accordance with the provisions of section 21 of the principal Act, before the commencement of this Act unless the parties otherwise agree but this Act shall apply in relation to arbitral proceedings commenced on or after the date of commencement of this Act.

#### 27. Repeal and savings.

- (1) The Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance, 2015, is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act.

<i>C</i> .0

(116)

**आठवीं अनुसूची -** लोपित

#### परिशिष्ट

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 से उद्धरण (2016 का 3)

#### संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

- (1) इस अधिनियम को मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकता है।
- (2) यह 23 अक्टूबर, 2015 को लागू हुआ माना जाएगा।


#### 26. अधिनियम लंबित मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।

इस अधिनियम में निहित कोई भी बात इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले मूल अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होगी, जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत न हों, लेकिन यह अधिनियम इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके बाद शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू होगा।

#### 27. निरसन और व्यावृत्तियाँ।

- (1) मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के बावजूद, उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के समतुल्य उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

NOTE:



-: <u>NOTE</u> :-